दिनांक 23.05.2023 को राजभवन में आयोजित कुलपतियों की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 23.05.2023 को राजभवन में कुलपतियों की बैठक की उपस्थिति संलग्न है। इस बैठक में विचार–विमर्श के उपरांत निम्नांकित अनुशंसा की गयी :–

1. स्नातक के प्रथम 02 सेमेस्टर के विषयवार विस्तृत पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रत्येक विषय हेतु 03 या 04 विशेषज्ञों की समिति बना दी जाय जो पटना में ही आवासन कर अधिकतम 15 जून तक प्रथम 02 सेमेस्टर का विस्तृत पाठ्यक्रम प्रत्येक विषय के लिए तैयार कर लेंगे।

2. इस विशेषज्ञ समिति को बनाने के लिए बिहार के सभी विश्वविद्यालयों से प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञों के नाम की अनुशंसा 03 दिनों में प्राप्त कर लिया जाय, तदोपरांत कुलाधिपति कार्यालय से प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया जाय।

3. इस विशेषज्ञ समिति के Term of reference निम्नांकित होंगे :–
   (क) प्रत्येक विषय में प्रथम 02 सेमेस्टर में पढाई जाने वाले पेपर की सूची एवं नामाकरण को अंतिम रूप देना।
   (ख) प्रथम 02 सेमेस्टर में विषयवार एवं पेपरवार Regulation के अनुसार Credit निर्धारित करना।
   (ग) प्रथम 02 सेमेस्टर के लिए विषयवार एवं पेपरवार विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

4. 15 जून तक प्रथम 02 सेमेस्टर के विस्तृत पाठ्यक्रम देने के बाद यही विशेषज्ञ समिति लगातार काम करती रहेगी एवं शेष 06 समेस्टर के लिए विस्तृत पात्यक्रम बनायेगी जिसके लिए लक्ष्य तिथि अलग से निर्धारित की जायेगी।

5. यह अनुशंसा की गयी कि वर्तमान परिनियम एवं अध्यादेश में आंशिक संशोधन करते हुए 06 सेमेस्टर के उपरांत जिन छात्र–छात्राओं को न्यूनतम 06 CGPA प्राप्त होते हैं, उन्हें स्नातक (प्रतिष्ठा) की उपाधि प्रदान की जाय एवं जो 06 CGPA से कम प्राप्त करते हैं उन्हें मात्र स्नातक की डिग्री दी जाय।

6. छात्र–छात्राओं में वर्तमान में फैल रहे दुविधा एवं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए यह अनुशंसा की गयी कि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सभी छात्र–छात्राओं के लिए 08 सेमेस्टर अर्थात् 04 वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य नहीं है। स्नातक के लिए पूर्व की भांति 06 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी होने पर भी उन्हें स्नातक की उपाधि दे दी

जायेगी। जो छात्र 7.5 या उससे ज्यादा CGPA लाते हैं एवं जो चतुर्थ वर्ष पढ़ाई के लिए इच्छुक है उनके लिए ही चतुर्थ वर्ष अर्थात् कुल 08 सेमेस्टर का विकल्प खुला रहेगा।

अंत में राज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक को समाप्त किया गया।

मानानीय कुलाधिपति महोदय के आदेश से,

ह०/–

(रॉबर्ट एल॰ चोंग्थू),

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– बी॰एस॰यू॰(यू॰जी॰सी॰)–02/2023–782/रा॰स॰ (I) दिनांक :– 29/05/2023

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
2. सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
3. सभी कुलपति, बिहार के सभी विश्वविद्यालय को सूचना एवं बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रो0 एन0के0 अग्रवाल, शैक्षणिक सलाहकार, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
5. विशेष पदाधिकारी (वि0) को सूचनार्थ प्रेषित।
6. राज्यपाल सचिवालय के सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
7. सहायक निदेशक, एन0आई0सी0, राजभवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. संधारक, गाईड फाइल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

29.5.2023

राज्यपाल के प्रधान सचिव

अनुलग्नक—1

क्र.सं.	पदाधिकारीगण
1	श्री दीपक कुमार सिंह **अपर मुख्य सचिव** **शिक्षा विभाग, बिहार, पटना**
2	रॉबर्ट एल० चोंग्थू **प्रधान सचिव** **राज्यपाल सचिवालय, पटना**
3	श्री बालेन्द्र शुक्ला **विशेष कार्य पदाधिकारी (न्या०)** **राज्यपाल सचिवालय, पटना**
4	प्रो० एस० पी० सिंह **कुलपति** **ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा**
5	प्रो० गिरीश कुमार चौधरी **कुलपति** **पटना विश्वविद्यालय, पटना**
6	प्रो० के०सी० सिन्हा **कुलपति** **नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना**
7	प्रो० आर० के० सिंह **कुलपति** **पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना**
8	प्रो० शैलेन्द्र चतुर्वेदी **कुलपति** **वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा**
9	प्रो० एन० के० अग्रवाल **शैक्षणिक सलाहकार** **बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना**